संख्या- 124 **/2018/813/22-4-18-105(ब)/98**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 20 अगस्त, 2018

विषय- जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विघुत आपूर्ति किये जाने हेतु 11 के0वी0 फीडर का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24088/नम-2//125/17, दिनांक-06.07.2017 एवं पत्र संख्या22409/नम-2/125/2017, दिनांक 21.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विघुत आपूर्ति किये जाने हेतु 11 के0वी0 फीडर का निर्माण कराये जाने हेतु रू0 363.35 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 3,63,35,000/- (रूपया तीन करोड़ तिरसठ लाख पैंतिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(4) प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि उच्च अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(12) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(13) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12.05.2017 एवं सूक्षम लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-23-जिला कारागार सोनभद्र में विघुत फीडर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1248/दस/2018, दिनांक 20 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-124/2018/813(1)/22-4-2018-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) अधिशासी अभियन्ता, विघुत वितरण खण्ड, राबर्टगंज, सोनभद्र।

(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in